न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 119/2017

अनवान :

सन्तोष पत्नी दरियासिंह जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– **प्रार्थीया**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **अप्रार्थी**

आवेदन पत्र बाबत : पता दुरूस्ती रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : प्रार्थीया

निर्णय **दिनांक:** 5.6.18

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की चक 6 एएमएस के खाता सं0 89/84 के मु0नं0 30 के किला नं0 19/1, 20, 21/1, 22/2, मु0नं0 32 के किला नं0 11, 12, 13 ता 25 मु0नं0 33 के किला नं0 1/1, 2/2, 10/1, 11/2, 13, 14, 17 ता 19, 20/1, 21/1 की कुल 6.653 है0 नहरी कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1.410 है0 राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार चक 7 एएमएस के खाता सं0 119/27 के मु0नं0 19 के किला नं0 15, 16, 25 की 0.759 है0 (नहरी 0.746 है0 गैर0मु0 रास्ता 0.013 है0 स्थित है जिसमें प्रार्थीया सन्तोषका 0.190 है0 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थीयाकी जाति जाट के बाद साकिन दयावठ तहसील राजगढ दर्ज किया हुआ है, जबकि प्रार्थीया लगभग 15 वर्ष से गांव बिराण तहसील भादरा में निवास करती है।

प्रार्थीया का जमाबन्दी में पता दयावठ तहसील राजगढ मात्र दर्ज रहने से प्रार्थीया के कृषि भूमि को विकसित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने, बैंक में खाता खुलवाने आदि में दिक्कत आती है। तहसील राजगढ का पता दर्ज होने से तहसील भादरा के क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड का खाता नहीं खुल रहा है जिससे प्रार्थीया को नापूरा होने वाली क्षति पहूंचती है। प्रार्थीया का पता भूलवंश दयावठ तहसील राजगढ दर्ज किया हुआ है जिसके आगे **"हाल बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़"** प्रार्थीया दर्ज करवाने की अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया ने चक 6 व 7 एएमएस के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम के आगे अंकित पता दुरूस्त कर हाल पता दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो बीपीएल रजि0प्रदर्श 4ए, भामासाह कार्ड प्रदर्श 5ए, वोटर आई डी कार्ड प्रदर्श 6ए, परिवार राशन कार्ड प्रदर्श 7ए, आधार कार्ड प्रदर्श 8ए, बैंक पास बुक प्रदर्श 9ए प्रदर्शित करवाये है उनमें प्रार्थी पता बिराण तहसील भादरा अंकित है एवं सरपंच ग्राम पंचायत बिराण ने भी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

अपने द्वारा जारी प्रमाण पत्र में इस बात की पुष्टि की है कि दरियासिंह पिछले लगभग 15 वर्ष से गांव बिराण में सपरिवार रहता है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि चक 6 एएमएस के खाता सं0 89/84 के मु0नं0 30 के किला नं0 19/1, 20, 21/1, 22/2, मु0नं0 32 के किला नं0 11, 12, 13 ता 25 मु0नं0 33 के किला नं0 1/1, 2/2, 10/1, 11/2, 13, 14, 17 ता 19, 20/1, 21/1 की कुल 6.653 है0 नहरी कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1.410 है0 व इसी प्रकार चक 7 एएमएस के खाता सं0 119/27 के मु0नं0 19 के किला नं0 15, 16, 25 की 0.759 है0 (नहरी 0.746 है0 गैर0मु0 रास्ता 0.013 है0 स्थित है जिसमें प्रार्थीया सन्तोष का 0.190 है0 हिस्सा दर्ज है में प्रार्थीया का पता **"दयावठ तहसील राजगढ"** के आगे **"हाल बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़"** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ